

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ-11-7/2016/नियम/चार/ 185 भोपाल दिनांक 31-1-2017
प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

विषय:- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया।
संदर्भ :- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-11-7/नियम/चार दिनांक 2 जनवरी 2017

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 1 सितम्बर 2016 के पश्चात रुपये 10000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 2 जनवरी 2017 से दिनांक 31-1-2017 तक के लिये स्थगित किया गया था।

2. उपर्युक्त संबंध में कतिपय विभागों से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि विशिष्ट स्वरूप के प्रकरणों के लिये व्यवस्था स्थापित करने में अभी कुछ और समय लगेगा।
3. अतः संदर्भित परिपत्र की प्रक्रिया को दिनांक 31-3-2017 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकजी)
सचिव
म0प्र0शासन,
वित्त विभाग

पृ0क्र0 एफ-11-7/2016/नियम/चार/ 186 भोपाल दिनांक 31-1-2017
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

(अनिरुद्ध मुकजी)
सचिव
म0प्र0शासन,
वित्त विभाग